दिनांक-05.02.2014 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु गठित 'राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति' की छठी बैठक की कार्यवाही

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की छठवी बैठक में जानकारी दी गयी कि विगत बैठकों में दिये गये निर्देश के आलोक में मिशन मानव विकास से संबंधित पहचान किये गये सूचकांको के संबंध में विभिन्न समितियों के द्वारा पंचवर्षीय एवं वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण किया गया है एवं आवश्यकतानुसार निधि का भी प्रावधान किया गया है। विभिन्न समितियों के अध्यक्षों के द्वारा तैयार किये गये रोड मैप के संबंध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया है, जो निम्नवत है :-

1. **जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं कुपोषण समिति** – विचारोपरान्त निम्नांकित सूचकांको के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-
   - **मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio- MMR)** : केरल एंव तमिलनाडु राज्यों द्वारा किये गये प्रयास के आधार पर मातृ मृत्यु दर वर्ष 2016-17 तक 99 रखा जाय।
   - **कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR)** : विद्यालयों की बढ़ती संख्या एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से लक्ष्य का निर्धारण किया जाय।
   - **एनीमिया (Anaemia)** : सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों उदाहरण नई पीढ़ी स्वास्थ्य योजना एवं विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से लक्ष्य का निर्धारण किया जाय।
   - **लिंगानुपात (Sex Ratio)** : शिक्षा विभाग द्वारा हो रहे प्रयासों एवं विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांको के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से लक्ष्य का निर्धारण किया जाय।
   - **बाल विवाह (Child Marriage)** : शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायतों में उच्च विद्यालय खोलने का प्रावधान एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार की दिशा में चलाये जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से लक्ष्य का निर्धारण किया जाय।
   - घर में हो रहे प्रसव में नवजात शिशु की देखभाल के लिए आशा को विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जा सकता है साथ ही ममता को समुचित प्रोत्साहन राशि दी जाय।
   - प्रसवोपरान्त माता को 48 घंटे तक अस्पताल में रखा जाय इसके लिए अस्पताल की साफ-सफाई एवं एटेन्डेन्ट को भोजन एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान किया जाय।
   - आधारभूत संरचना के तहत अस्पतालों की संख्या एवं अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु जो लक्ष्य रखा गया है, उसका निर्धारण 2011 के जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में संख्या का आकलन किया जाय।
2. **जलापूर्ति एवं स्वच्छता विषयक समिति** – विचारोपरान्त निम्नांकित सूचकांको के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-
   - जल की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नलकूप निर्माण के विकल्प के रूप में कूप निर्माण पर विचार किया जा सकता है।
   - ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जल की खपत 55 एल0प0सी0डी0 पर शहरी क्षेत्रों मे 135 एल0पी0सी0डी0 का जो मापदंड दर्शाया गया है, उसके औचित्य की समीक्षा कर मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर निर्णय लिया जाय।
   - आंगनवाड़ी शौचालय के निर्माण का लक्ष्य शत प्रतिशत किया जा सकता है।
3. **कला संस्कृति एवं क्रीड़ा विषयक समिति** – विचारोपरान्त निम्नांकित सूचकांको के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-
   - खेल मैदान के निर्माण में उच्च विद्यालयों के साथ कन्वरजेंस किया जाय।
   - खेल मैदान के निर्माण को मनरेगा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाय।
   - वार्षिक खेल-कूद की तालिका तैयार करने का सुझाव दिया गया।

- पुराने स्टेडियम का जीर्णोद्धार किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

4. **सूचना एवं संचार विषयक समिति** – विचारोपरान्त निम्नांकित सूचकांको के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

- सूचना एवं संचार में दो चरणों में कार्य करने की योजना है। प्रथम स्तर पर शिक्षकों, आंगनवाड़ी सेविका, आशा आदि एवं द्वितीय स्तर पर ग्रामीण महिलाओं के साथ कार्य करने की योजना है।
- जीविका समूह की महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर डिजिटल साक्षरता के साथ जोड़े जाय।

मिशन मानव विकास के लिए तैयार किये जाने वाले प्रतिवेदन को कार्य योजना मिशन मानव विकास नाम दिया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक: मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011 (खण्ड) /दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011 (खण्ड) /दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मंत्री, शिक्षा के आप्त सचिव/मंत्री, योजना एवं विकास के आप्त सचिव/मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के आप्त सचिव/मंत्री, समाज कल्याण के आप्त सचिव /मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा के आप्त सचिव/मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी के आप्त सचिव/मंत्री, श्रम संसाधन के आप्त सचिव/मंत्री, सूचना एवं जन संपर्क के आप्त सचिव/मंत्री, सूचना प्रावैधिकी के आप्त सचिव/मंत्री, पंचायती राज के आप्त सचिव/मंत्री, नगर विकास एवं आवास के आप्त सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011 (खण्ड) /दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011 (खण्ड) 369 /दिनांक 14 मार्च, 2014

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/श्रम संसाधन विभाग/समाज कल्याण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/पंचायत राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/14
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव